सरयू राय

मंत्री

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

झारखण्ड सरकार

पत्रांक. 2066/मंत्रीको०
दिनांक. 30-08/18

मुख्य सचिव,

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड सरकार के कार्य विभागों एवं संबद्ध निगमों ने अनियमिततायें करते रहने का प्रण कर लिया है। इस संदर्भ में मैं सचिव, भवन निर्माण विभाग को भेजे गए पत्रांक 2030, दिनांक 08.08.2018 का उल्लेख करना चाहता हूं। भवन निर्माण विभाग के स्तर से क्रियान्वित की जाने वाली नई/जीर्णोद्धार योजनाओं की अधिसीमा तीन करोड़ रुपये तक राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। इस अधिसीमा से ऊपर की योजनाएं भवन निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित की जानी है एवं अधिसीमा तक की योजनाएं भवन निमार्ण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जानी है। परन्तु अधिसीमा से कम लागत वाली योजनाओं को भी भवन निर्माण निगम ही क्रियान्वित करने पर उतारू है।

सचिव, भवन निर्माण विभाग को अधोहस्ताक्षरी द्वारा भेजे गए उपर्युक्त पत्र के बाद तीन करोड़ की अधिसीमा से कम लागत वाली पाँच योजनाओं की निविदा भवन निर्माण निगम ने स्थगित कर दिया, परंतु हाल ही में प्रकाशित निविदा के अनुसार निगम ने इनमें से दो योजनाओं को अपने स्तर से क्रियान्वित करने हेतु निविदा पुनः प्रकाशित किया है। अधोहस्ताक्षरी के उपर्युक्त पत्र को अनुलग्नक–1 तथा हाल ही में निगम द्वारा प्रकाशित निविदा को अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न कर रहा हूं। ऐसे अन्य कई उदाहरण भी हो सकते हैं। भवन निर्माण विभाग/निगम के ऐसी कारगुजारियों पर रोक लगनी चाहिए तथा इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि योजनाओं का क्रियान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किये जाने पर जितनी लागत होती है उससे 7 प्रतिशत अधिक लागत योजनाओं का क्रियान्वयन निगम द्वारा किये जाने पर आती है। यह व्यय अनावश्यक तथा राजकोष पर बोझ है।

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।

Scanned with OKEN Scanner

इससे पहले अधोहस्ताक्षरी द्वारा सचिव, पथ निर्माण विभाग को दो पत्र, दिनांक 28.03.2018 और 26.07.2018 को, इस विभाग से संबंधित विविध अनियमितताओं के बारे में भेजा गया है, परंतु प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर इन पर कार्रवाई की सूचना तो दूर इन पत्रों के प्राप्ति स्वीकृति सूचना भी अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को नहीं दी गयी है। यह घोर आपत्तिज़नक है। विभागीय सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आदि को प्रेषित ऐसे पत्रों के आधार पर की गयी कार्रवाई अथवा पत्रों की प्राप्ति–स्वीकृति नहीं प्राप्त होना गम्भीर विषय है। उजागर की गयी अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं होने से प्रतीत होता है कि सरकार में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में आवश्यक संजीदगी का अभाव है। आपसे ऐसे मामलों में ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है।

सरयू राय 30.8.18



Scanned with OKEN Scanner